पत्र संख्या : 7वि॰शा / मु॰चॉण्डिल–10–05 / 2019–ज॰सं॰– 351

झारखण्ड सरकार

जल संसाधन विभाग

प्रेषक,

प्रशांत कुमार,
सचिव

सेवा में,

प्रशासक, सुवर्णरेखा बहुद्देशीय परियोजना, आदित्यपुर, जमशेदपुर / मुख्य अभियंता, चाण्डिल कम्पलेक्स,
संबंधित अधीक्षण अभियंता / संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी;
जल संसाधन विभाग, झारखण्ड।

रॉंची, दिनांकः 26/03/21

विषय :– वित्तीय वर्ष 2020–21 के दौरान जल संसाधन विभाग अन्तर्गत सुवर्ण रेखा नहर प्र॰, जमशेदपुर को बाढ़ नियंत्रण योजनाओं तथा नई बाढ़ नियंत्रण / कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन हेतु कुल **रू॰ 12.991 लाख (रू॰ बारह लाख निन्यानबे हजार एक सौ मात्र)** रूपये की राशि आवंटित करने के संबंध में।

प्रसंग :– प्रशासनिक स्वीकृत्यादेश संख्या–51 / 11–12 प्र०स्वी० दि० 05.03.2012 (Online AA-2258/26.03.21), 52 / 11–12 प्र०स्वी० दि० 05.03.2012 (Online AA-2255/26.03.21), 53 / 11–12 प्र०स्वी० दि० 05.03.2012 (Online AA-2260/26.03.21), 08 / 10–11, दिनांक–04.06.2010 (Online AA-2262/26.03.21) एवं 65 / 15–16, दिनांक–16.03.2016 (Online AA-2263/26.03.21)

महाशय,

वित्तीय वर्ष **2020–21** में व्यय हेतु बजट मुख्य शीर्ष **4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय** के अंतर्गत परिशिष्ट–1 एवं 2 में दर्शाये गये लघु शीर्ष / उप शीर्ष के अधीन आवंटन संसूचित किया जाता है :–

क्र॰	मॉग संख्या / मुख्य शीर्ष / उप मुख्य शीर्ष	लघु शीर्ष / उप शीर्ष	विस्तृत शीर्ष / विपत्र कोड़	कुल आवंटन (लाख रू. में)
1	2	3	4	5
1.	49–जल संसाधन विभाग 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय / 01–बाढ़ नियंत्रण,	796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–58–नई बाढ़ नियंत्रण / कटाव निरोधक कार्यों का कार्यान्वयन	05–निर्माण 45 निर्माण कार्य / 49S471101796580545	**8.11**
	49–जल संसाधन विभाग 4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय / 01–बाढ़ नियंत्रण,	796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना, उप शीर्ष–56–बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण	05–निर्माण 45 निर्माण कार्य / 49S471101796560545	**4.881**
				12.991

आवंटित राशि – ₹ बारह लाख निन्यानबे हजार एक सौ मात्र।

2. आवंटित राशि वर्ष 2020–21 के बजट उपबंध (49S471101796580545) ₹ 730.00 लाख (₹ सात करोड़ तीस लाख) तथा द्वितीय अनुपूरक आगणन में प्रत्यर्पण के फलस्वरूप संशोधित बजट उपबंध (49S471101796560545) ₹ 10.00 लाख (₹ दस लाख) मात्र के अंतर्गत है।

3. आवंटित राशि के निकासी की प्रक्रिया एवं शर्त्तें वित्त विभागीय स्थायी अनुदेश का पत्रांक 2561 वि॰ (2) दिनांक 17.04.98, 1800 (वि॰) दि॰ 15.07.2003, 1363 दि॰ 09.05.2016 तथा 2747(वि॰), दिनांक–19.09.16 के आलोक में होगा।

4. आवंटित राशि का व्यय स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम, प्रशासनिक स्वीकृति एवं तकनीकी स्वीकृति के अंतर्गत परिशिष्ट–1 एवं 2 के विवरण के अनुरूप किया जायेगा।

5. संबंधित अधीक्षण अभियंता एवं मुख्य अभियंता अपने परिक्षेत्राधीन कार्यों की भौतिक एवं वित्तीय समीक्षा स्वयं करेंगे एवं यह सुनिश्चित करेंगे कि व्यय निर्धारित नियमों के अनुरूप हो।

6. राशि की निकासी के पूर्व संबंधित विपत्र / चेक पर निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा इस प्रसंगाधीन आवंटन आदेश की संख्या एवं तिथि का उल्लेख करना होगा, जिसके आधार पर संबंधित विपत्र / चेक में निहित राशि की निकासी की जा रही है। साथ ही इस आशय का प्रमाण पत्र भी विपत्र / चेक पर अंकित करना होगा कि विपत्र में निहित राशि बजट उपबंध तथा आवंटित राशि के अधीन है और राशि की निकासी के लिए संबंधित निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी स्वयं सक्षम पदाधिकारी है। प्रत्येक विपत्र / चेक के साथ संबंधित आवंटन आदेश की अभिप्रमाणित प्रति निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी द्वारा अनिवार्य रूप से संलग्न की जायेगी।

7. सरकारी नियम / अधिनियम यथा वन संरक्षण अधिनियम 1980 आदि का उल्लंघन नहीं हो यह सुनिश्चित किया जाय।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव (अभि॰)

7. राशि की निकासी कर उसे चालू /बचत खाता में नहीं रखा जाय।

8. आवंटित राशि से दायित्व का भुगतान या अन्य मद में व्यय बिना अनुमति के नहीं किया जाय।

9. इस शीर्ष के अंतर्गत उपर्युक्त राशि आवंटित की जा रही है, निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी उसी शीर्ष के अंतर्गत भारित करेंगें। प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी पूर्णतः सुनिश्चित हो लेंगें कि इकाईवार व्यय की सीमा किसी भी परिस्थिति में संबंधित इकाई के अंतर्गत आवंटित राशि से अधिक नहीं हो, अन्यथा अधिकाई व्यय की पूरी जवाबदेही संबंधित पदाधिकारी पर होगी।

10. बिहार वित्तीय नियमावली (भाग–1) के नियम 473 एवं 475 में विहित निदेश/वित्तीय नियमावली बजट मैनुअल/सचिवालय अनुदेश तथा अन्य सुसंगत अभिलेखों में विहित प्रावधानों तथा राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर निर्गत अनुदेशों का दृढ़तापूर्वक अनुपालन किया जाना संबंधित मुख्य अभियंता/अधीक्षण अभियंता/कार्यपालक अभियंता का दायित्व होगा।

11. प्रत्येक निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी संबंधित शीर्षान्तर्गत हुए व्यय का सत्यापन नियमानुसार त्रैमासिक रूप से महालेखाकार रॉंची के साथ निश्चित रूप से कराते रहेंगे तथा व्यय प्रतिवेदन एवं सत्यापन विवरणी विभाग को समर्पित करेंगे।

12. विभिन्न इकाई मदों में आवंटित राशि से यदि राशि बच जाती है तो उसका **इकाईवार प्रत्यर्पण 31 मार्च, 2021 के पूर्व तक** निश्चित रूप से कर देंगे। साथ ही यदि किसी ईकाई में आवंटित राशि का तत्काल व्यय संभव न हो तो अतिरेक राशि का यथाशीघ्र प्रत्यार्पण कर दिया जाय। **राशि का प्रत्यार्पण, Online उप शीर्षवार किया जाय एवं पूर्ण प्रत्यार्पण प्रतिवेदन Hard Copy में Access No तथा Revoke No/Surrender No (संबंधित LOC संख्या सहित) का भी आवश्यक रूप से उल्लेख करते हुए उपलब्ध कराया जाय।**

नोट : आवंटित राशि को Online Allotment System द्वारा निर्गत किया जा चुका है, जिसका Access No. परिशिष्ट–1 के स्तंभ–12 में अंकित है। यह आवंटनादेश जल संसाधन विभाग के वेब साईट (http://www.wrdjharkhand.nic.in) पर भी उपलब्ध है।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

26/03/21

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 351 रॉंची, दिनांक :– 26/03/21

प्रतिलिपि :– महालेखाकार (लेखा एवं हक०) झारखण्ड पो० – **हिनू, रॉंची/कोषागार पदाधिकारी, डोरण्डा/रॉंची/जमशेदपुर** सहित राज्य के सभी कोषागार एवं उपकोषागार पदाधिकारी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

26/03/21

(प्रशांत कुमार)
सचिव

ज्ञापांक :– 351 रॉंची, दिनांक :– 26/03/21

प्रतिलिपि :– अपर मुख्य सचिव/प्रधान सचिव/सचिव, योजना–सह–वित्त विभाग/संबंधित प्रमंडलीय आयुक्त/संबंधित उपायुक्त/आंतरिक वित्तीय सलाहकार, जल संसाधन विभाग/मुख्य अभियंता (मो०) रॉंची/अभियंता प्रमुख –I एवं II जल संसाधन विभाग /संयुक्त सचिव (अभि०)/उप सचिव (अभि०), जल संसाधन विभाग/प्रशाखा–7 को दस अतिरिक्त प्रतियों में/सांख्यिकी पदाधिकारी जल संसाधन विभाग/सचिव के प्रधान आप्त सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, रॉंची/वेब सूचना प्रबंधक, जल संसाधन विभाग को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अनुलग्नक–यथोक्त्।

(राजेन्द्र प्रसाद) उप सचिव (अभि०)	(अशोक कुमार दास) संयुक्त सचिव (अभि०)	26/03/21 **(प्रशांत कुमार)** **सचिव**

विभागीय पत्रांक 351 दिनांक 26.03.2021 का अनुलग्नक परिशिष्ट – 1

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष–01–बाढ़ नियंत्रण

लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना,

उप शीर्ष–58–नई बाढ़ नियंत्रण/कटाव निरोधक कार्यों का निर्माण

विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 निर्माण कार्य

विपत्र कोड– 49S471101796580545

वित्तीय वर्ष 2020–21 में बजट उपबंध रू॰ 730.00 लाख मात्र।

राशि लाख रूपये में

क्र॰	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2020 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2020–21 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (8+11)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	वर्त्तमान आबंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	स्वर्ण रेखा नहर प्रमंडल जमशेदपुर (JSRIRR100)	चाण्डिल	पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत बड़ौदा घाट से शिव घाट (जुगसलाई, जमशेदपुर) के बीच खरकई नदी दांये तट पर कटाव सुरक्षात्मक कार्य हेतु।	65/15–16, दिनांक–16.03.2016 Online AA-2263/26.03.21	290.170	290.170	0.000	8.110	8.110	298.280	**94369**	
						योग	**0.000**	**8.110**	**8.110**	**298.280**		

आवंटित राशि – ₹ आठ लाख ग्यारह हजार मात्र।

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि॰)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव

(प्रशांत कुमार)
सचिव

विभागीय पत्रांक 351 दिनांक 26.03.2021 का अनुलग्नक परिशिष्ट – 2

मांग संख्या–49–जल संसाधन विभाग

मुख्य शीर्ष–4711–बाढ़ नियंत्रण परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय

उप मुख्य शीर्ष–01–बाढ़ नियंत्रण

लघु शीर्ष–796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना,

उप शीर्ष–56–बाढ़ नियंत्रण योजनाओं का निर्माण,

विस्तृत शीर्ष–05–निर्माण 45 निर्माण कार्य

विपत्र कोड– 49S471101796560545

वित्तीय वर्ष 2020–21 में द्वितीय अनुपूरक आगणन में प्रत्यर्पण के फलस्वरूप संशोधित बजट उपबंध रू. 10.00 लाख मात्र।

राशि लाख रूपये में

क्र.	प्रमंडल का नाम	मुख्य अभियंता	योजना का नाम	प्रशासनिक स्वीकृति का		मार्च 2020 तक का व्यय	वित्तीय वर्ष 2020–21 में आवंटन			योजना पर कुल अद्यतन आवंटन (8+11)	On-line Allotment Access No.	अभ्युक्ति
				प्रसंग	राशि		पूर्व का आबंटन	वर्त्तमान आबंटन	कुल आवंटन			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	स्वर्ण रेखा नहर प्रमंडल जमशेदपुर (JSRIRR100)	चाण्डिल	सरायकेला खरसांवा जिलान्तर्गत सालडीह नाला के नजदीक खरकई नदी के बायें तट पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	52 / 11–12, दिनांक–05.03.2012 Online AA-2255/26.03.21	240.21	229.070	0.000	1.064	1.064	230.134	94382	
2			जमशेदपुर जिलान्तर्गत भाटिया बस्ती नाला पर खरकई नदी के बांये तट पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	51 / 11–12, दिनांक–05.03.2012 Online AA-2258/26.03.21	477.68	487.320	0.000	1.822	1.822	489.142	94380	
3			जमशेदरपुर जिलान्तर्गत इस्लाम नगर नाला के पास खरकई नदी के दायें तट पर बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य।	53 / 11–12, दिनांक–05.03.2012 Online AA-2260/26.03.21	274.68	323.780	0.000	0.650	0.650	324.430	94378	
4			पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत जमशेदपुर शहर में सुवर्णरेखा नदी के बाँये तट पर कपाली नाला के पास बाढ़ सुरक्षात्मक कार्य के साथ Anti Flood Sluice का निर्माण।	08 / 10–11, दिनांक–04.06.2010 Online AA-2262/26.03.21	191.36	180.220	0.000	1.345	1.345	181.565	94374	
योग						1227.390	0.000	4.881	4.881	1225.271		
आवंटित राशि – ₹ चार लाख अठासी हजार एक सौ मात्र।												

(राजेन्द्र प्रसाद)
उप सचिव (अभि.)

(अशोक कुमार दास)
संयुक्त सचिव

26/03/21
(प्रशांत कुमार)
सचिव